

2.5.18

पत्रावली का प्रकल्प कोर्ट नारायण में पेश हुई।  
पुनरावली से संबंधित बाह्य पत्र का विस्तारण हो  
सुका है। अस्तुतः प्र. पत्र अस्वास्थ्य विषे दाखला का  
कोई अतिरिक्त नहीं रह गया है। पुनरावली पत्र  
अस्वास्थ्य विषे दाखला रकारिण की वाली है  
पत्रावली को अलाभ्युकार होकर न मर से काम  
हो तथा दाखिल हएवर हो।